

दिनांक : 19/03/2018।

आरोपीगण के अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर ने उपस्थित होकर आरोपीगण की ओर से शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण आज ही सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार किया गया एवं प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया गया।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

इसी प्रासिथिति पर उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री मोहम्मद अजहर को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त। जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य राजीनामा कार्यवाही हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रासिथिति पर फरियादी/आवेदक सागर सिंह पुत्र भारत सिंह एवं श्याम सुन्दर पुत्र जीवाराम गुर्जर निवासीगण :- ग्राम कतरौल, थाना-मौ, जिला-भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह गुर्जर के साथ उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक सागर सिंह एवं श्याम सुन्दर ने उनके अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323, 325 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी राजीनामा आवेदन एवं आवेदन अन्तर्गत धारा 320 "02" द.प्र.सं. प्रस्तुत किया।

आवेदक/आहत सागर सिंह अभियोजित अपराध की धारा 294, 323, 325 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उनकी पहचान श्री अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323, 325 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323, 325 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जे.एम.एफ.सी.गोहद